न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम0के0 सिंह
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 708–दों/2014 विरूध्द आदेश दिनांक 17–10–13 पारित अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण कमांक 699/अ–56/11–12 अपील.

सतीश कुमार दाहिया पिता कल्लूसिंह
निवासी ग्राम बिहर, ग्राम पंचायत बम्हनौदा,
तहसील पनागर, जिला जबलपुर, म0प्र0 —— आवेदक

विरूध्द

1– अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर
2– अनुविभागीय अधिकारी, जबलपुर
3– नायब तहसीलदार, पनागर, जिला जबलपुर
4– सरपंच, ग्राम पंचायत बम्हनौदा, जनपद पंचायत, जबलपुर, म0प्र0
5– धंनजय सिंह पिता सहजेन्द्र (सत्येन्द्र) सिंह दाहिया, नि0 वार्ड नम्बर 12, पनागर, जिला जबलपुर, म0प्र0 —— अनावेदकगण

श्री ए0के0 गौतम, अभिभाषक – आवेदक
श्री उमेश मिश्रा, अभिभाषक– अनावेदक क0–5

आदेश

(आज दिनांक 6 जुलाई, ,2015 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के अपील प्रकरण कमांक 699/अ–56/11–12 में पारित आदेश दिनांक 17–10–13 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम बिहर के कोटवार पद से प्यारीबाई बेवा स्व0 दयाराम व्दारा अस्वस्था के कारण कोटवार पद से इस्तीफा देने से रिक्त कोटवार पद पर नियुक्ति की कार्यवाही तहसील न्यायालय व्दारा प्रारम्भ की गयी

और कोटवार पद हेतु आवेदनपत्र आमंत्रित किये गये। कोटवार पद हेतु आवेदक सतीशकमार, अनावेदक क0 5 धंनजयकुमार तथा शरदकुमार व्दारा आवेदनपत्र प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत ने दिनांक 20–07–2010 को प्रस्ताव पारित कर आवेदक सतीश पुत्र कल्लूसिंह को ग्राम कोटवार नियुक्त करने अनुशंसा की। नायब तहसीलदार, पनागर ने अपने आदेश दिनांक 22–07–2010 व्दारा आवेदक सतीश के विरूध्द आई पी सी की धारा 324/294, 506 बी 34 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज होने से अनावेदक क0–5 धंनजय को पूर्व कोटवार प्यारीबाई का नाती होने से कोटवार नियुक्त किया। इस आदेश के विरूध्द आवेदक सतीश व्दारा अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13–12–10 में यह निष्कर्ष निकाला कि अनावेदक धंनजय ग्राम बिहर का स्थाई निवासी नहीं है, जबकि आवेदक सतीश ग्राम का स्थाई निवासी है। अनुविभागीय अधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि मान. न्यायालय कु0 उर्मिला यादव न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी जबलपुर के दांडिक प्रकरण कमांक 18264/8 आदेश दिनांक 26–7–10 व्दारा सतीश को दोषमुक्त किया गया है। ग्राम पंचायत बम्हनौदा व्दारा 20–7–2010 को आवेदक सतीश के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया है, इसलिये धंनजयसिंह की नियुक्ति ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के विपरीत है। अतः अनुविभागीय अधिकारी व्दारा अपील स्वीकार कर प्रकरण पुनः उभय पक्ष को सुनवायी का आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया।

3/ अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के फलस्वरूप तहसील न्यायालय ने कार्यवाही प्रारम्भ की और नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 23–07–11 में यह निष्कर्ष निकाला कि दोनों ही उम्मीदवार पूर्व कोटवार के नाती हैं, किन्तु सतीश के विरूध्द थाना पनागर में मारपीट का प्रकरण दर्ज था, सतीश ने उक्त आपराधिक प्रकरण में दोष मुक्त होना लेख किया है, किन्तु कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। अतः नायब तहसीलदार ने पुनः अनावेदक क0–5 धंनजय को ग्राम कोटवार नियुक्त करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत अपील अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 11–04–12 व्दारा खारिज की। विव्दान अपर आयुक्त के समक्ष व्दितीय अपील प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 17–10–13 में यह

निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक के विरूध्द एफ आई आर दर्ज होने से उसे कोटवार पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं माना गया है तथा आवेदक व्दारा अधीनस्थ न्यायालय में ऐसी कोई दस्तावेज की प्रति पेश नहीं की है जिससे उसे दोष मुक्त किया गया माना जा सके। अपर आयुक्त ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ग्राम पंचायत के नवीन प्रस्ताव के बिना नियमित नियुक्ति नहीं की जा सकती थी, इसलिये अपर आयुक्त व्दारा अनावेदक धंनजयसिंह की कोटवार पद पर नियुक्ति को निरस्त किया और नये सिरे से कार्यवाही करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

4/ मैने अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया तथा विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। निगरानी में आवेदक व्दारा यह मुद्दा प्रस्तुत किया है कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष मान. कु. उर्मिला यादव, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 18264/2008 में पारित आदेश दिनांक .26--07--10 की प्रति पेश की गयी थी और उसी के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी व्दारा आदेश दिनांक 13--12--10 पारित किया गया और आदेश के अंतिम पैरा में इसका उल्लेख भी किया गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा निकाले गये निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक ग्राम बिहर का स्थाई निवासी है तथा अनावेदक क0--5 धंनजय ग्राम बिहर का निवासी नहीं है। उनका अन्त में यह तर्क है कि ग्राम पंचायत व्दारा आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्त करने हेतु सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया, इसलिये आवेदक को पूर्व कोटवार का नाती होने से कोटवार नियुक्त किया जाना चाहिये। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

5/ अनावेदक क0--5 धंनजय के अभिभाषक ने अपने लिखित तर्क में मुख्य तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक सतीश के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज है और उसके व्दारा दोष मुक्त न्यायालय व्दारा किये जाने संबंधी कोई दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालयों में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, इसलिये वह कोटवार पद के योग्य नहीं होने से उसे कोटवार नियुक्त नहीं करने में अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी हैं।

उनका यह भी तर्क है कि कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु उसी ग्राम का निवासी होना अनिवार्य नहीं है। समीपवर्ती उम्मीदवार को भी कोटवार नियुक्त किया जा सकता है और इस संबंध में वरिष्ठ न्यायालयों के न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर विचारण तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनावेदक को कोटवार नियुक्त करने में कोई गलती नहीं की है। भूतपूर्व कोटवार व्दारा अनावेदक के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया है तथा उसे कोटवार नियुक्त करने संबंधी बयान विचारण न्यायालय में दिया है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

6/ अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों से स्पष्ट है कि आवेदक सतीश कुमार के विरूध्द आपराधिक प्रकरण दर्ज होने तथा उसके व्दारा दोष मुक्त किये जाने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने से नायब तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने आवेदक सतीश को कोटवार पद के योग्य नहीं होना निर्धारित किया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्रकरण कमांक 105/अ–56/09–10 के अभिलेख एवं पारित आदेश दिनांक 13–12–10 का अवलोकन करने का प्रयास नहीं किया गया जिसके व्दारा अनुविभागीय अधिकारी व्दारा प्रकरण विचारण तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13–12–2010 में निष्कर्ष निकाला गया है कि मान. न्यायालय कु0 उर्मिला यादव न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी जबलपुर के दांडिक प्रकरण कमांक 18264/8 आदेश दिनांक 26–7–10 व्दारा सतीश को दोषमुक्त किया गया है। प्रकरण में मान0 न्यायालय व्दारा पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की है। ऐसी दशा में अधीनस्थ न्यायालयों के यह निष्कर्ष कि आवेदक व्दारा आपराधिक प्रकरण में दोष मुक्त होने संबंधी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया, अभिलेख सम्मत नहीं है, इसलिये स्थिर नहीं रखा जा सकता।

7/ आवेदक सतीश कुमार तथा अनावेदक क0–5 धंनजय सिंह दोनों ही भूतपूर्व कोटवार प्यारीबाई के पुत्रियों के पुत्र है, इसलिये दोनों को ही समान रूप से कोटवार पद पर नियुक्ति हेतु अग्रमान्यता प्राप्त करने की पात्रता हैं। ग्राम पंचायत बम्हनौदा व्दारा 20–7–2010 को सर्वसम्मति से आवेदक सतीश पुत्र कल्लूसिंह को ग्राम कोटवार

नियुक्त करने हेतु प्रस्ताव पारित किया है। संहिता की धारा 230 के अन्तर्गत बनाये गये कोटवारी नियमों के नियम 4(1) के अनुसार ग्राम पंचायत व्दारा पारित संकल्प के अनुसार सतीश को कोटवार पद पर नियुक्ति किया जाना चाहिये था क्योंकि आवेदक सतीश व्दारा आपराधिक प्रकरण में दोष मुक्त होने संबंधी प्रमाण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था।

8/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी का आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 17–10–13, अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 11–10–12 तथा नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 23–07–11 निरस्त किये जाते हैं। आवेदक सतीश पुत्र कल्लूसिंह दाहिया को ग्राम पंचायत बम्हनौदा व्दारा 20–7–2010 को सर्वसम्मति से पारित संकल्पानुसार कोटवार नियमों के नियम 4(1) के अनुसार ग्राम बिहर का स्थायी कोटवार नियुक्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर,